



मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482 008

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकंलि/उ.स.एक/40 जबलपुर, दिनांक 04.01.2017

आदेश

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 10.4.2012 द्वारा म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें उत्तरवर्ती कंपनियों में अंतिम रूप से अंतरित की गई हैं। म.प्र.पा.ज.कं.लि. में अंतिम रूप से अंतरित पूर्ववर्ती मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा नियुक्त कम्पनी संवर्ग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मप्रपाजनकंलि/उ.स.-एक/2191-92 दिनांक 13.06.2016 द्वारा मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग पर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) की दर से महंगाई भत्ता देय है।

02. निर्णय लिया गया है कि कंपनी में अंतरित पूर्ववर्ती मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा नियुक्त कम्पनी संवर्ग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नानुसार महंगाई भत्ता देय होगा :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-12-2016	(मूल वेतन + ग्रेड वेतन) का 132% (एक सौ बत्तीस प्रतिशत)

03. 132 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान माह दिसम्बर-2016 के वेतन के साथ नगद किया जावेगा।

04. माह जुलाई 2016 से माह नवंबर 2016 तक की अवधि के महंगाई भत्ते की देय राशि का भुगतान राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-1/2016/नियम/चार दिनांक 28.12.2016 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जावेगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

05. महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

आदेशानुसार,

(डी.एन. राम)

कार्य. निदे.(मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर

कमश: 2

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपाजकलि/उ.स.एक/41 "जबलपुर, दिनांक 04.01.2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल ।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा)/ (सिविल अभियांत्रिकी) / (~~सी.एच.एस.~~) (ईंधन प्रबंधन)/ (अभियांत्रिकी) / (सामग्री प्रबंधन) / (परि.-उत्पा.) / (संचा.संधा.-जलविद्युत) / (नवीनी. एवं आधुनिकी.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
3. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), अताविग/संगांताविग/सताविग/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि/ म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.,/म. प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर ।
5. मुख्य अभियंता (कापोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
8. अति.मुख्य अभि. (उत्पा.-भंडार) / (~~...~~) / (टीएचसी), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर / सिरमौर ।
9. कार्यपालक सहायक सम्बद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., भोपाल ।
10. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन) / (संचा.संधा.), राअबासा/पेंच/राजघाट/गांधी सागर/बाण सागर-दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविग, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., बरगी नगर / तोतलाडोह/चंदेरी /गांधी सागर/सिलपरा/देवलौद/झिन्ना/शिवपुरी ।
11. अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे. एवं अन्वे., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर ।
12. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस) / अताविग/संगांताविग/सताविग/श्रीसिंगाजी ताविपरि./टोंस जविग, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर/चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
13. आदेश नस्ती ।
14. स्टाफ आफिसर/निज सहायक-संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी) / (वाणिज्य), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर ।
15. पेंशन शाखा/~~...~~ कार्या.-कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(ए.के.नेमा)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर